न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 361/2022

अनवानः–

1. हरिसिंह पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल साकिन टोपरिया तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. रामपाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. कर्मवीर पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
4. सीताराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
5. हनुमानप्रसाद पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
6. आदराम पुत्र अर्जनराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
7. कमला पुत्री चुन्नीराम जाति मेघाल निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. समेस्ता पुत्र चुन्नीराम जाति मेघवाल साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. सन्तोष पुत्री पूर्णचन्द जाति मेघवाल साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. अनकौरी पुत्री सुगनी जाति मेघवाल साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादी संख्या 10**
3. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादी संख्या 9**

निर्णय दिनांकः 06/06/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता संख्या 19/17 की कुल 12.6210 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के नाम मुश्तरका खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण की उक्त वाद भूमि मुश्तरका दर्ज है। वाद भूमि मुश्तरका खाता की होने के कारण वाद भूमि को लेकर सीव लगान का झगड़ा रहता है तथा काश्त के संबंध में भी झगड़ा रहता है इसलिए वादी अपना खाता व लगान प्रतिवादीगण से अलग करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की उक्त भूमि का खाता व लगान अलग से तकसीम करवा ले तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जो की शामिल मिसल किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 6 [illegible] नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] ही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 9 की तरफ से श्री रविन्द्र कुमार [illegible] अधिवक्ता ने वकालतनामा [illegible] कर वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री करने हेतु निवेदन किया। वाद [illegible] साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता संख्या 19/17 की कुल 12.6210 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के नाम मुश्तरका खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता संख्या 19/17 की कुल 12.6210 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. हरीसिंह पुत्र देवीलाल कौम मेघवाल सा0 टोपरिया खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा टोपरिया ख0न0 357 में से 0.390 हैक्ट पूर्वी पासा।
2. अनकोरी पत्नी सुगनी पत्नी पत्नी हेतराम कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन आरएमजीबी बिरकाली ख0न0 357 में से 2.403 हैक्ट पश्चिमी पासा
3. संतोष पत्नी पूर्णचंद कौम मेघवाल सा0 भाखरावाली तह0 संगरिया खाते0 ख0न0 358 में से 2.622 हैक्ट दक्षिणी–पश्चिमी पासा।
4. कमला पुत्री चुनीराम कौम मेघवाल सा0 भाखरावाली तह0 संगरिया खातेदार ख0न0 358 में से 1.613 पूर्वी पासा।
5. समेस्ता पुत्री चुनीराम कौम मेघवाल सा0 भाखरावाली तह0 संगरिया खातेदार ख0न0 358 में से 0. 596 हैक्ट उत्तरी पासा
6. आदराम पुत्र अर्जनराम कौम मेघवाल सा0 झोथड़ा तह0 सिरसा खातेदार ख0न0 295 में से 1.498 हैक्ट पश्चिमी पासा
7. कर्मवीर, कृष्ण कुमार, रामपाल, सीताराम, हनुमान प्रसाद पि0 मनीराम कौम मेघवाल सा0 झोथड़ा हाल किंकराली खातेदार– ख0न0 295 में से 1.499 हैक्ट पूर्वी पासा।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 06/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:30 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 361 / 2022
अनवानः–

1. हरिसिंह पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल साकिन टोपरिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. रामपाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. कर्मवीर पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
4. सीताराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
5. हनुमानप्रसाद पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
6. आदराम पुत्र अर्जनराम जाति मेघवाल निवासी झोथड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
7. कमला पुत्री चुन्नीराम जाति मेघाल निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया।
8. समेस्ता पुत्री चुन्नीराम जाति मेघवाल निवासी भाखंरावाली तहसील संगरिया।
9. सन्तोष पुत्री पूर्णचन्द जाति मेघवाल साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया।
10. अनकौरी पुत्री सुगनी जाति मेघवाल साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 361 सन 2022 निर्णय दिनांक........06/06/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता संख्या 19 / 17 की कुल 12.6210 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. हरीसिंह पुत्र देवीलाल कौम मेघवाल सा0 टोपरिया खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा टोपरिया ख0न0 357 में से 2.390 हैक्ट पूर्वी पासा।
2. अनकोरी पुत्री सुगनी पत्नी हेतराम कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन आरएमजीबी बिरकाली ख0न0 357 में से 2.403 हैक्ट पश्चिमी पासा
3. संतोष पत्नी पूर्णचंद कौम मेघवाल सा0 भाखरावाली तह0 संगरिया खाते0 ख0न0 358 में से 2.622 हैक्ट दक्षिणी–पश्चिमी पासा।
4. कमला पुत्री चुनीराम कौम मेघवाल सा0 भाखरावाली तह0 संगरिया खातेदार ख0न0 358 में से 1.613 पूर्वी पासा।
5. समेस्ता पुत्री चुनीराम कौम मेघवाल सा0 भाखरावाली तह0 संगरिया खातेदार ख0न0 358 में से 0.596 हैक्ट उत्तरी पासा
6. आदराम पुत्र अर्जनराम कौम मेघवाल सा0 झोथड़ा तह0 सिरसा खातेदार ख0न0 295 में से 1.498 हैक्ट पश्चिमी पासा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

7. कर्मवीर, कृष्ण कुमार, रामपाल, सीताराम, हनुमान प्रसाद पि0 मनीराम कौम मेघवाल सा0 झोथड़ा हाल किंकराली खातेदार– ख0न0 295 में से 1.499 हैक्ट पूर्वी पासा।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:48:30 IST
Reason: SelfAttested